(21)

संख्याः1495/XXIV-3/12/02(58)12

प्रेषक,

आर0 के0 सुधांशु,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 03 नवम्बर दिसम्बर, 2012

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के संचालन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/45200/5क(15)/01/2012–13 दिनांकः 20 अक्टूबर, एवं पत्र संख्याः अर्थ–1/39508/5क(15)/01/2012–13 दिनांकः 19 सितम्बर, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के संचालन हेतु संलग्न–बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 16250 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 39000 हजार इस प्रकार कुल **रू0 55250 हजार (रूपये पॉच करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही कि या जायेगा। और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नयी मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

–आगे।

4– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

5– व्यय करते समय वित्तीय संग्रहण खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम, (बजट मैन्युवल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजना पक्ष में लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 07–राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना, 02–मजदूरी एवं अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण (2202–02–101–03 से स्थानान्तरित) माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्रों में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा। तथा पुनर्विनियोग कालम–1 की बचतो से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 48(NP)/XXVII (3)/2012–13 /दिनांकः 23 नवम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(आर0के0सुधांशु,)
प्रभारी सचिव।

संख्याः1495/XXIV-3/12/02(58)12तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
7– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
9– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।